संख्या–222/XXX(4)/2024–03(05)/2020

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–04 देहरादून, दिनांकः 10 जुलाई, 2024

विषयः– उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा–2024 के अन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 14 जुलाई, 2024 के आयोजन विषयक।

महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2024 को प्रस्तावित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा–2024 के सफल एवं शुचितापूर्ण आयोजन हेतु शासन के पत्र संख्या–2015/XXX(4)/2022–03(5)2020, दिनांक 27.09.2022 एवं पत्र संख्या–02/XXX(4)/2023–03(5)2020, दिनांक 05.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुपालनार्थ अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. शासन द्वारा पूर्व में जारी उपरोक्त पत्रों दिनांक 27.09.2022 एवं दिनांक 05.01.2023 में निर्गत दिशा–निर्देशों का संबंधित जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. प्रश्नगत परीक्षा में तैनात समस्त अधिकारियों एवं जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र पर्यवेक्षकों की परीक्षा से 02 दिन पूर्व ब्रीफिंग समस्त जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में आहूत की जाये जिसमें सभी केन्द्र व्यवस्थापक अनिवार्य रूप से भाग लें। बैठक में केन्द्र पर्यवेक्षकों/व्यवस्थापकों को परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु वांछित उपाय सख्ती से बरतने के निर्देश जारी किये जायें।
3. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा प्रक्रिया के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु केन्द्र पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जाये कि वह सभी कक्ष निरीक्षकों, सचल दल एवं तैनात अन्य समस्त कार्मिकों को अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सचेत करेंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षा से सम्बद्ध किसी भी स्तर पर शिथिलता

परिलक्षित होने पर इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा तद्नुरूप कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

4. उक्त परीक्षा से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी सभी उपलब्ध माध्यमों से जिले भर में प्रसारित की जाये, ताकि अवांछित तत्वों में प्रशासन की मुस्तैदी का प्रभाव बना रहे।
5. जनपदों के सभी परीक्षा केन्द्रों का संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकरण करते हुये परीक्षा तिथि को इनमें सैक्टर मजिस्ट्रेट तथा फ्लाइंग स्क्वाड अतिरिक्त पुलिस बल/अभिसूचना कार्मिक तैनात किये जायें।
6. दूरस्थ एवं संवेदनशील केन्द्रों में पृथक से डेडिकेटेड सैक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सतत निगरानी की जायेगी।
7. केन्द्रों में संबंधित सैक्टर मजिस्ट्रेट प्रश्नपत्रों, परीक्षा सामग्री का प्रति पाली पृथक–पृथक संकलित करते हुए पृथक से जमा करेंगे।
8. परीक्षा तिथि के पूर्व से ही स्थानीय अभिसूचना इकाईयाँ/एजेंसीज सक्रिय बनी रहें।
9. संज्ञान में आया है कि जनपदों में परीक्षाओं के संचालन में तैनात कतिपय सैक्टर मजिस्ट्रेट केवल गोपनीय सामग्री को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने व वापस संबंधित डाकघर तक लाने में ही व्यस्त रहते हैं। अतः परीक्षा केन्द्रों पर व्यापक पर्यवेक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत अन्य जनपदीय अधिकारियों को भी उक्त कार्य हेतु तैनात किया जाये तथा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी परीक्षा अवधि में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का आवश्यक रूप से भ्रमण एवं निगरानी करना सुनिश्चित करें।
10. वर्षाकालीन मौसम के दृष्टिगत आवागमन सुचारू बनाए रखने हेतु अवरूद्ध मार्गों को तत्परता से खोलने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Radha Raturi
Date: 10-07-2024 13:51:37

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव।

संख्या– ———/XXX(4)/2024–03(05)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को उनके पत्र दिनांक 09.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

Signed by Alok Kumar Singh
Date: 10-07-2024 15:52:42

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव

1/88739/2023

संख्या– 02 / XXX(4) / 2023–03(05) / 2020

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–04 देहरादून, दिनांकः 05 जनवरी, 2023

विषयः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं के सफल एवं शुचितापूर्ण आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–2015 / XXX(4) / 2022–03(05) / 2022, दिनांक 27 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित तथा लोक सेवा आयोग के स्तर से आयोजित होने वाली अन्य चयन परीक्षाओं का शुचितापूर्ण, उत्कृष्टता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ आयोजन किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2 – परीक्षाओं का आयोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं जिलास्तरीय अधिकारीगणों का समन्वय अतिआवश्यक है। अतः शासनादेश दिनांक 27.09.2022 के माध्यम से निर्गत दिशा–निर्देशों के संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये परामर्श पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न परीक्षाओं को सूचारू एवं निर्विघ्न रूप से समयबद्धता एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्नवत् व्यवस्थाएं किया जाना सुनिश्चित करें:–

1– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के जिला स्तर पर सफल आयोजन का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के जिलाधिकारी का होगा तथा परीक्षा आयोजन की सम्पूर्ण कार्यवाही जिलाधिकारी की देख–रेख में संपादित की जाएगी।

2– जिलाधिकारी द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा के आयोजन हेतु जिले में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।

3– नोडल अधिकारी द्वारा आयोग से प्राप्त विवरण के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्र का भौतिक निरीक्षण करते हुए, मुख्यालय के समीप एवं आवागमन हेतु सुगम विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र के रूप में प्रस्तावित करते हुए आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा केन्द्र के रूप में प्रस्तावित विद्यालयों में फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, क्लॉक

Generated from eOffice by ATUL KUMAR SINGH, RO-AKS, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE, Personnel and Vigilance Department on 05/01/2023 10:23 AM

I/88739/2023

रूम एवं परीक्षा आयोजन हेतु पर्याप्त स्टाफ की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है। परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित परीक्षा केन्द्र परीक्षा आयोजन हेतु पूर्ण रूप से सक्षम है। सुविधाजनक एवं सुगम परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से निर्धारित प्रारूप पर सहमति लेकर लोक सेवा आयोग को परीक्षा तिथि से न्यनतम 45 दिन पूर्व प्रेषित किया जाएगा।

4– परीक्षा से संबंधित ब्रीफिंग हेतु बैठक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (परीक्षा भवन), हरिद्वार में परीक्षा तिथि से 04 से 06 दिन पूर्व आहूत की जायेगी जिसमें संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है। ब्रीफिंग के दिन परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित जनपदों के नोडल अधिकारी/प्रतिनिधि को कोषागार, हरिद्वार अथवा परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा निर्धारित स्थान से गोपनीय सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

5– नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री संबंधित जनपदों के कोषागार/उप कोषागार के डबल लॉक में जमा की जाएगी। गोपनीय सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु कोषागार/उप कोषागार में मानक के अनुसार डबल लॉक व CCTV की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संबंधित कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी।

6– जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा केन्द्र हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं समुचित संख्या में जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट का दायित्व परीक्षा तिथि में जनपदीय कोषागार से गोपनीय सामग्री संबंधित केन्द्रों तक पहुँचाने एवं परीक्षा समाप्ति के उपरान्त गोपनीय सामग्री से संबंधित सील्ड पैकेट्स आदि संबंधित नगर के पोस्ट ऑफिस अथवा निर्धारित गन्तव्य तक पहुँचाने की होगी। परीक्षा तिथि को संबंधित नगरों के कोषागार से कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा केन्द्र कोड के अनुसार ही संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रश्न–पुस्तिका (Question Booklet)/ गोपनीय सामग्री के सील्ड पैकेट्स उपलब्ध कराये जाएंगे। उक्त विवरण की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य है।

7– सेक्टर मजिस्ट्रेट यथासंभव परीक्षा प्रारम्भ होने से 01 घण्टा पूर्व गोपनीय सामग्री पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केन्द्र प्रभारी को प्राप्त करायेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर गोपनीय सामग्री उपलब्ध कराये जाने संबंधी कार्यवाही की भी वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य है। प्रश्न–पुस्तिका (Question Booklet)/ गोपनीय सामग्री के पैकेट्स प्रधानाचार्य/केन्द्र पर्यवेक्षक को प्राप्त कराकर उनसे प्राप्ति लिया जाना अनिवार्य है। संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट सम्पूर्ण परीक्षा अवधि में संबंधित परीक्षा केन्द्र पर ही तैनात रहेंगे।

8– नोडल अधिकारी, परीक्षा तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्रधानाचार्यों/केन्द्र पर्यवेक्षकों/सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा परीक्षा से सम्बद्ध अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की एक बैठक आहूत करेंगे तथा उन्हें परीक्षा की पूर्ण प्रक्रिया एवं अपेक्षित व्यवस्थाओं से भली भांति अवगत करायेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा हरिद्वार जनपद के अतिरिक्त अन्य समस्त जनपदों के संबंधित पोस्ट–ऑफिस परीक्षा तिथि को खोले जाने हेतु भी आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जाएंगे।

Generated from eOffice by ATUL KUMAR SINGH, RO-AKS, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE, Personnel and Vigilance Department on 05/01/2023 10:23 AM

I/88739/2023

9— जिलाधिकारी / नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा तिथि को प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर समुचित चिकित्सा व्यवस्था, निर्बाध विद्युत एवं जल आपूर्ति तथा सड़क अवरोध आदि जिसके कारण परीक्षार्थियों को समस्या उत्पन्न हो सकती है, की व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को यथा—आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में परीक्षा के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी।

10— परीक्षा से संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा के शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर समुचित पुलिस व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। सभी परीक्षा केन्द्रों पर यथासंभव Metal detector उपकरण व्यवस्था किया जाना भी अपेक्षित है।

11— परीक्षा से संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने—अपने जनपदों में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर कार्यवाही कर ली जाएगी, जो पूर्व मे परीक्षाओं में नकल करवाने में संलिप्त रहे हों, या ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा नकल कराने की सम्भावना हो। परीक्षा से पूर्व एवं आवश्यकतानुसार समुचित अभिसूचना (Intelligence) संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है। परीक्षा तिथि को प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के प्रवेश से पूर्व परीक्षा अवधि में महिला अभ्यर्थियों की तलाशी (Frisking) का कार्य महिला शिक्षक एवं महिला पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा की तिथि को अभ्यर्थियों के सुगम आवागमन हेतु ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी।

12— राज्य में आयोजित परीक्षाओं के सफल एवं शुचितापूर्ण आयोजन का दायित्व राज्य सरकार का है, अतः परीक्षा आयोजन से संबंधित जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से परीक्षा आयोजन हेतु सजग एवं सतर्क रहने की अपेक्षा की जाती है।

भवदीय,

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 04-01-2023 18:29:50

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
मुख्य सचिव

संख्या—02 / XXX(4) / 2023—03(05) / 2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3— सचिव, गृह / विद्यालयी शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4— पुलिस महानिदेशक, सुभाष रोड़, देहरादून।
5— मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमायूं मण्डल।
6— निदेशक, उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

Generated from eOffice by ATUL KUMAR SINGH, RO-AKS, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE, Personnel and Vigilance Department on 05/01/2023 10:23 AM

I/88739/2023

7– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
8– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 04-01-2023 19:14:33

(शैलेश बगौली)
सचिव

Generated from eOffice by ATUL KUMAR SINGH, RO-AKS, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE, Personnel and Vigilance Department on 05/01/2023 10:23 AM

संख्याः 2015 / xxx(4) / 2022–03(5) / 2020

I/66245/2022

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–04 देहरादून, दिनांकः 27 सितम्बर, 2022

विषयः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली चयन परीक्षाओं में सक्रियता एवं सतर्कता से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य सरकार के निर्णय के अनुक्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित तथा लोक सेवा आयोग के स्तर से आयोजित होने वाली अन्य चयन परीक्षाओं का शुचितापूर्ण, उत्कृष्टता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ आयोजन किया जाना अपेक्षित है।

2– परीक्षाओं का आयोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं जिलास्तरीय अधिकारीगणों का समन्वय अतिआवश्यक है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न परीक्षाओं को सुचारू एवं निर्विघ्न रूप से समयबद्धता एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु निम्नवत् व्यवस्थाएं किया जाना सुनिश्चित करें:–

(1) परीक्षा आयोजन हेतु पर्याप्त परीक्षा केन्द्रों की ससमय उपलब्धता हेतु समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने जिले के सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि केवल ऐसे स्कूलों/विद्यालयों की सूची (प्रधानाचार्य का नाम, दूरभाष सहित) ही आयोग को उपलब्ध कराई जाए, जहाँ अभ्यर्थियों हेतु पर्याप्त फर्नीचर, बिजली, पेयजल, आवागमन की सुविधा एवं अन्य वांछित व्यवस्थाएं परिपूर्ण हों तथा उक्त निर्धारित मानकों से कोई समझौता न किया जाए।

(2) परीक्षा आयोजन, जनपद स्तर पर, समग्र तौर पर जिलाधिकारी की देखरेख में सम्पादित किया जाए तथा आयोग के सहयोगार्थ प्रत्येक जनपद के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (ए0डी0एम0 स्तर से निम्न न हो) को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।

(3) तहसील/नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के पर्यवेक्षण/समन्वयन हेतु एक प्रशासनिक अधिकारी (एस0डी0एम0 स्तर से निम्न न हो) को जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर नामित किया जाए। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र के दूरस्थ स्थल पर अवस्थित होने अथवा परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर सैक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किये जाएं तथा अपेक्षाकृत अधिक पुलिस बल भी तैनात किया जाए।

(4) परीक्षा के सुव्यवस्थित ढंग से संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के प्रधानाचार्य/केन्द्र प्रभारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदत्त किये जाएं तथा परीक्षा केन्द्र पर प्रशासन का एक अधिकारी (तहसीलदार स्तर से निम्न न हो) प्रतिनिधि के तौर पर नामित किया जाए।

GENERAL DRAFT

Generated from eOffice by PRATIK TEWARI, RO-PERSONNEL-PT, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE, Personnel and Vigilance Department on 27/09/2022 11:15

I/66245/2022

(5) परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की दूरी तक परीक्षा के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा भी लागू की जा सकती है।

(6) जनपदीय कोषागार से गोपनीय सामग्री विभिन्न परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचाने एवं परीक्षा के उपरान्त गोपनीय सामग्री से संबंधित सील्ड पैकेट्स आदि संबंधित नगर के पोस्ट ऑफिस अथवा निर्धारित गन्तव्य तक सुरक्षित पहुँचाने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किये जायें, जो इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(7) परीक्षा के दौरान समस्त परीक्षा केन्द्रों के बाहर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाए।

3– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में नियुक्त/तैनात होने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा परीक्षा केन्द्रों व उनके कर्मचारियों का ये दायित्व होगा कि वे परीक्षा को विशेष सतर्कता एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पादित/आयोजित करायें। यदि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही या अनुचित व्यवहार की सूचना प्राप्त होती है तो उसे गंभीरता से लिया जायेगा और उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासकीय/विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 26-09-2022 18:43:14

भवदीय,

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
मुख्य सचिव

संख्याः 2015 /xxx(4)/2020–03(5)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, गृह/विद्यालयी शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. पुलिस महानिदेशक, सुभाष रोड़, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 27-09-2022 11:06:40

(शैलेश बगौली)
सचिव

GENERAL DRAFT

Generated from eOffice by PRATIK TEWARI, RO-PERSONNEL-PT, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE, Personnel and Vigilance Department on 27/09/2022 11:15